राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.स्टे एवं अपील संख्या 645/2015/चूरू
2.स्टे एवं अपील संख्या 646/2015/चूरू
मैसर्स रमेश ट्रेडिंग कम्पनी
सादुलपुर, चूरू — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–चतुर्थ, चूरू
उपायुक्त(प्रशासन)वाणिज्यिक कर,
बीकानेर — प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री वी.के.गर्ग
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक — अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांकः 27.5.2015

निर्णय

ये दोनों अपीलें मय स्टे प्रार्थना पत्रों के अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर,बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प.4(73)की/उपा–बी/14.15/546 एवं द्वारा प.4(73)की/उपा–बी/14.15/543 में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 03.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। चूँकि दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित होने तथा निर्णय हेतु समान बिन्दु विवादित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रूप से रखी जाये।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत चूरू (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का कर निर्धारण क्रमशः दिनांक 05.02.2014 एवं 09.04.2014 को एकतरफा पारित किये गये हैं। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त कर निर्धारण आदेशों क्रमशः दिनांक 05.02.2014 एवं 09.04.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र On-line दिनांक 27.01.2015 को अपीलीय अधिकारी को प्रेषित किये। उक्त आन लाईन प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के समय अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण एवं आवेदन पत्र वैट–58 के साथ निर्धारित फीस 100/–जमा होने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त आन लाईन प्रार्थना पत्रों को अदम हाजरी व अदम पैरवी में अपीलीय अधिकारी द्वारा खारिज कर दिये गये,जिनके विरूद्ध उक्त अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत की गई हैं।

उक्त अपीलों एवं स्थगन प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 34 के अध्ययन से विदित होता है कि उक्त धारा के अन्तर्गत विचाराधीन प्रार्थना पत्रों में किसी प्रकार की बकाया वसूली योग्य मांग राशि को स्थगित करने का प्रावधान नहीं है,केवल उपायुक्त(प्रशासन) द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत व्यवहारी द्वारा पुनः कर निर्धारण पारित करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार अथवा स्वीकार कर, सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को तद्नुनुरूप निर्देश देने सम्बन्धित प्रावधान हैं। यहां यह उल्लेखित करना समीचीन होगा कि सक्षम अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र भी विचाराधीन नहीं था । अतः इस तथ्य पर सक्षम अधिकारी का कोई आदेश ही नहीं है जिस पर अपीलार्थी व्यवहारी स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किया स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा यह मानकर कि धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन वैट–58 के साथ निर्धारित फीस जमा नहीं करने के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये हैं, इस कारण उक्त प्रार्थना पत्रों को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है,जो अनुचित एवं रिकार्ड के विपरीत है।

उक्त तथ्यों के आलोक में रिकार्ड का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उक्त दोनों अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत करते समय अपीलों के साथ पत्रावलियों पर ई चालान की छाया प्रतिलिपियॉ संलग्न की गई है, जो कर बोर्ड की पत्रावली पर उपलब्ध है और ई चालान दिनांक 27.01.2015 को जमा कराये गये अर्थात् जिस तिथि को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आन लाईन प्रेषित किये गये उसी तिथि को ई चालान संख्या 0006126782 एवं 0006126915 के द्वारा राशि रू. 100/– एवं रू. 100/–भी जमा कराये गये हैं। अतः अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन वैट–58 के साथ निर्धारित फीस जमा नहीं करने के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है, के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्रों को निरस्त किया गया है, जो उचित नहीं हैं।

प्रकरण की तथ्यों एवं उसमें विवादित राशियों को मध्यनजर रखते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर, उक्त प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात निर्णय प्राप्त के 60 दिवस के भीतर पुनः आदेश पारित करें। साथ ही

अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त निर्णय की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर भीतर अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य